

मिसल नम्बर 105/2019
निर्णय दिनांक 31-10-2019

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- कृष्ण सिंह (RTS)

मिसल नम्बर :- 105/2019

सरकार

बनाम

देवीसहाय पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी हरड़िया तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं
राज0
.....गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट-1956)

दिनांक :- 31-10-2019


—: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर गैर सायल हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का हरड़िया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि राजस्व ग्राम हरड़िया स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 7.61 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.10 हेक्टेयर पर गैर सायल ने चार दिवारी (मकान) बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है जिसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। गैर सायल का नोटिस सम्यक रूप से बाद तामिल प्राप्त बावजूद इसके अनुपस्थित। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का हरड़िया की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल ने राजस्व ग्राम हरड़िया स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 7.61 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.10 हेक्टेयर पर चार दिवारी (मकान) बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अतः पटवारी हल्का हरड़िया की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।




तहसीलदार खेतड़ी
जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल नम्बर 105/2019
निर्णय दिनांक 31-10-2019

—: आदेश :-

अतः प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का हरड़िया के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजस्व ग्राम हरड़िया स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 840 रकबा 7.61 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकीन पहाड़ के रकबा 0.10 हेक्टेयर पर से बेदखल किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = 50/- रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का हरड़िया से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की प्रश्नगत भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-10-2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार, खेतड़ी
जिला सुन्धुनू (राज)